

अनुलग्नक 22  
(अध्याय 8, पैरा 8.4.2)  
प्ररूप 'क'

मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय अथवा राज्य राजनैतिक दल अथवा रजिस्ट्रीकृत गैर मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों के नामों की सूचना देने हेतु प्राधिकृत व्यक्तियों के संबंध में सूचना

सेवा में,

1. मुख्य निर्वाचक अधिकारी  
.....(राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश)
2. रिटर्निंग ऑफिसर,  
.....निर्वाचन क्षेत्र

विषय:- .....(राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश) का साधारण निर्वाचन-प्रतीकों का आबंटन- अभ्यर्थियों के नामों की सूचना देने वाले व्यक्तियों को प्राधिकृत करना।

महोदय/महोदया,

निर्वाचक प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 कि पैरा 13(ग),(घ) और (ङ) के अनुसरण में मैं एतद्वारा यह सूचित करता हूँ कि दल, जो कि .....राज्य में राष्ट्रीय दल/राज्य दल/ रजिस्ट्रीकरण गैर-मान्यता प्राप्त दल है, द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति (यों) को प्राधिकृत किया गया है जो उपर्युक्त निर्वाचन के लिए खड़े किए जाने वाले प्रस्तावित अभ्यर्थियों के नामों की सूचना देगा/देगें:-

नोटिस भेजने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति का नाम	दल में धारित पद	जिला (जिलों)/क्षेत्र(क्षेत्रों) / निर्वाचन क्षेत्र का नाम जिसके लिए प्राधिकृत किया गया है
1	2	3
1		
2		
3		
4		

1. श्री .....के हस्ताक्षर के नमूने (i)..... (ii).....  
.....
2. श्री .....के हस्ताक्षर के नमूने (i)..... (ii).....  
..... (iii).....
3. श्री .....के हस्ताक्षर के नमूने (i)..... (ii).....  
..... (iii).....

भवदीय/भवदीया,

अध्यक्ष/सचिव

दल का नाम

स्थान .....

तारीख .....

टिप्पणी:-

1. नामनिर्देशन की अंतिम तारीख को 3 बजे अपराहन से पहले इसे रिटर्निंग आफिसर और मुख्य निर्वाचक अधिकारी को सौंप दिया जाना अनिवार्य हैं।
2. प्ररूप पर उपर्युक्त पदधारी (पदधारियों)द्वारा स्याही से हस्ताक्षर होने चाहिए। किसी पदधारी के प्रतिकृति हस्ताक्षर अथवा रबड़-मुहर के रूप में किया गया हस्ताक्षर स्वीकार्य नहीं होगा।
3. फैंक्स द्वारा भेजा गया कोई प्ररूप स्वीकार नहीं किया जाएगा।

राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी के नाम की सूचना (निर्वाचन प्रतीक आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 का पैरा 13(ख),(ग) और (ड) तथा 13 (क) के अनुसरण में मैं ...  
.....(दल) की ओर से एतद्वारा सूचित करता हूँ कि—  
प्रति,

रिटर्निंग आफिसर

..... विधानसभा क्षेत्र

विषय :- सामान्य/उप चुनाव ..... से .....(विधानसभा का नाम)..... में  
(राज्य/केन्द्र शासित) - उम्मीदवार खड़े करना

महोदय,

पैरा 13 (ब)(ग)(ड) तथा 13 (क)(निर्वाचन प्रतीक आरक्षण और आबंटन) के अनुसरण में आदेश 1968, मैं ..... पार्टी की ओर से सूचना देता हूँ कि :

- वह व्यक्ति जिसका विवरण नीचे कॉलम (2) से (4) में दिया गया है, उपर्युक्त दल का अनुमोदित अभ्यर्थी है, और
- वह व्यक्ति जिसका विवरण नीचे कॉलम (5) से (7) में दिया गया है, दल का स्थानापन्न अभ्यर्थी है जो अनुमोदित अभ्यर्थी के नाम निर्देशन की जांच किए जाने पर उसे रद्द करने अथवा इस निर्वाचन क्षेत्र में होने वाले साधारण/उप -निर्वाचन लड़ने से अपना नाम वापिस लेने, की स्थिति में उक्त अभ्यर्थी का स्थान लेगा यदि स्थानापन्न अभ्यर्थी अभी भी निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी है:

निर्वाचन क्षेत्र का नाम	अनुमोदित अभ्यर्थी का नाम	अनुमोदित अभ्यर्थी के पिता/माता/पति का नाम	अनुमोदित अभ्यर्थी का डाक पता	स्थानापन्न अभ्यर्थी के नाम निर्देशन की जांच किए जाने पर उसे रद्द करने अथवा निर्वाचन लड़ने से अपना नाम वापिस लेने की स्थिति में उसका स्थान लेगा यदि स्थानापन्न अभ्यर्थी अभी भी निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी है।	स्थानापन्न अभ्यर्थी के पिता/माता/पति का नाम	स्थानापन्न अभ्यर्थी का डाक पता
1	2	3	4	5	6	7

2. दल के अनुमोदित अभ्यर्थी के रूप में श्री/श्रीमती/सुश्री .....  
/दल के स्थानापन्न अभ्यर्थी के रूप में श्री/सुश्री ..... के पक्ष  
में पहले प्ररूप 'ख' में दी गई सूचना को एतदद्वारा रद्द किया जाता है।
3. यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रत्येक अभ्यर्थी इस राजनीतिक दल का  
सदस्य है और उसका नाम इस दल के सदस्यों की नामावली में विधिवत शामिल है।  
(दल के प्राधिकृत व्यक्ति का नाम और हस्ताक्षर)  
(दल की मुहर)

स्थान .....

तारीख .....

यदि लागू नहीं होता तो काट दें।

टिप्पणी :

1. नामनिर्देशन की अंतिम तारीख को 3 जे अपराहन से पहले इसे रिटर्निंग आफिसर को  
सौंप दिया जाना अनिवार्य है।
2. प्ररूप पर उपर्युक्त पदधारी (पदधारियों) द्वारा स्याही से हस्ताक्षर होने चाहिए । किसी  
पदधारी के प्रतिकृति हस्ताक्षर अथवा रबड़-मुहर के रूप में किया गया हस्ताक्षर स्वीकार्य  
नहीं होगा।
3. फ़ैक्स द्वारा भेजा गया कोई प्ररूप स्वीकार नहीं किया जाएगा।
4. फार्म के पैरा 2 को काट दिया जाए यदि लागू नहीं होता है या पूर्ण रूप से भरा जाना  
चाहिए यदि लागू होता है।